न्यायालय उपखंड अधिकारी मनोहरथाना जिला झालावाड़

पीठासीन अधिकारी: पुष्कर कुमार मित्तल (आर. ए. एस.)

उनवान

कालू वगै 0 बनाम रतन वगै 0

प्रकरण संख्या :-87/18

1. कालू पिता धन्नालाल जाति भील निवासी आकोलिया तहसील मनोहर थाना
2. लालजी पिता धन्नालाल जाति भील निवासी आकोलिया तहसील मनोहर थाना
3. दाखाबाई पुत्री धन्नालाल जाति भील निवासी आकोलिया तहसील मनोहर थाना
4. पानाबाई पुत्री धन्नालाल जाति भील निवासी आकोलिया तहसील मनोहर थाना
5. मेवाबाई पुत्री धन्नालाल जाति भील निवासी आकोलिया तहसील मनोहर थाना

.....वादीगण

1. रतनलाल पिता कंवरलाल जाति लोधा निवासी आंकखेड़ी तहसील मनोहर थाना
2. चंद्रीबाई बेवा कंवरलाल जाति लोधा निवासी आंकखेड़ी तहसील मनोहर थाना
3. बीरमा पिता भीमा जाति लोधा निवासी आंकखेड़ी तहसील मनोहर थाना (फ़ौत)

3.1 भेरूलाल पिता बीरमा जाति लोधा निवासी आंकखेड़ी तहसील मनोहर थाना
3.2 श्रीलाल पिता बीरमा जाति लोधा निवासी आंकखेड़ी तहसील मनोहर थाना
3.3 फूलचंद पिता बीरमा जाति लोधा निवासी आंकखेड़ी तहसील मनोहर थाना
3.4 दौलत पिता बीरमा जाति लोधा निवासी आंकखेड़ी तहसील मनोहर थाना
3.5 पांचू पिता बीरमा जाति लोधा निवासी आंकखेड़ी तहसील मनोहर थाना

4.सीबीआई बैंक शाखा मनोहर थाना
5. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार मनोहरथाना

.....प्रतिवादीगण

दावा अंतर्गत धारा 88,89,91,188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

06.05.26
उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर
मनोहरथाना, जिला झालावाड़ (राज.)

-:निर्णय:-

उपस्थित :- दिनाँक:- 06.05.2026

1. श्री पुरुषोत्तम खंडेलवाल अधिवक्ता वादी

1. वादी द्वारा एक वाद जरिया अधिवक्ता उपस्थित न्यायालय होकर दिनांक 27.6.2018 को अंतर्गत धारा 88,89,91,188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का पेश किया। वाद के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है :- ग्राम अकोलिया पटवार हलका चांदपुर कस्बा तहसील मनोहर थाना के माल की नई खाता संख्या 125 पुरानी 6 की खसरा नंबर 55 की चार बीघा 14 विस्वा 202 की चार बीघा 12 विस्वा 205 की एक बीघा 14 विस्वा कुल तीन किता की 11 बीघा आरजी खातेदार प्रतिवादी गण के खाते में स्थित है।

2. दिनांक 12.8.1985 को वाद पत्र की मद संख्या एक की खसरा नंबर 205 की एक बीघा 14 विस्वा आरजी में से 1/2 हिस्सा वादी के पिता पन्ना पिता अमरा जाति भील निवासी अकोलिया ने ₹400 में जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र क्रय की थी। खरीदे जाने की दिनांक से आज दिनांक तक वादी गण के पिता वह उनके मरने के पश्चात वादीगण का निरंतर निर्विरोध कब्जा चला आ रहा है यह की तहसीलदार मनोहर थाना ने उपरोक्त वादग्रस्त आराजी का इंतकाल वादीगण के पक्ष में नहीं खोला है। वादी के पिता पन्नालाल का देहांत लगभग 10 -15 साल पूर्ण हो गया है जिसके वादीगण जायज वारिसान है।

3. इस प्रकार वादी ने प्रार्थना की है कि ग्राम अकोलिया पटवार हलका चांदपुर कस्बा तहसील मनोहर थाना के माल की खाता संख्या नया 125 पुरानी 6 की आराजी खसरा नंबर 205 की एक बीघा 14 विस्वा आरजी में से 1/2 हिस्सा का वादी गण को खातेदार काशतकार घोषित किया जाए। वादी ने प्रार्थना पत्र के साथ अपना शपथ पत्र, नकल जमाबंदी खाता संख्या नया 125 पुराना 6 संवत 2069 2072 तथा असल रजिस्ट्री बयनामा दिनांक 12.8.1985 पेश किए हैं।

4. वादी का दावा रजिस्टर्ड किया जाकर प्रतिवादिगण की तलबी की गई बावजूद सूचना के प्रतिवादीकरण के अनुपस्थित रहने से उनके विरुद्ध एक पक्षीय कार्रवाई अमल में लाई गई साक्ष्य वादी में वादी द्वारा गवाह पहलवान एवं लाल सिंह के शपथ पत्र पेश

06.05.26

उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर
मनोहरथाना, जिला झालावाड़ (राज.)

किया अभिभाषक वादी की एक पक्षीय बहस सुनी गई।

5. न्यायालय द्वारा पत्रावली पर उपलब्ध समस्त दस्तावेज़ी साक्ष्य, राजस्व अभिलेख (जमाबंदी),का गौरपूर्वक अवलोकन किया गया एवं विद्वान अभिभाषक की बहस पर विस्तृत रूप से मनन किया गया । अवलोकन से निम्नलिखित तथ्य प्रकाश में आए —

6. वादीगण द्वारा पत्रावली पर दिनांक 12.08.1985 का रजिस्टर्ड विक्रय पत्र पेश किया गया है, जिससे यह तथ्य प्रकट होता है कि ग्राम अकोलिया, पटवार हल्का चांदपुर, तहसील मनोहरथाना, खाता संख्या नया 125 पुराना 6 की आराजी खसरा नंबर 205 रकबा 1 बीघा 14 बिस्वा में से 1/2 हिस्सा विक्रेता वीरमा पुत्र भीमा द्वारा वादग्रस्त हिस्से के रूप में बेचा गया था।

7. वादीगण द्वारा उक्त रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के अलावा केवल वर्तमान जमाबंदी की नकल पत्रावली पर प्रस्तुत की गई है, परंतु विक्रय के समय की तत्कालीन जमाबंदी (संवत संबंधित वर्ष) प्रस्तुत नहीं की गई है, जिससे यह सिद्ध हो सके कि विक्रेता वीरमा पुत्र भीमा ही उस समय उक्त खसरा संख्या 205 के 1/2 हिस्से का दर्ज खातेदार/हिस्सेदार था तथा विक्रय के पश्चात नामांतरण / इंतकाल की कोई कार्यवाही हुई या नहीं।

8. वादीगण ने वाद में यह उल्लेख किया है कि कथित क्रेता (धन्नालाल, जैसा कि वाद में वर्णित है) का देहांत हो चुका है तथा वादीगण उसके वैध वारिस हैं, किंतु इस संबंध में न तो धन्नालाल का मृत्यु प्रमाण पत्र और न ही वादीगण के उसके वारिस होने का कोई प्रामाणिक दस्तावेज (वारिसानामा, जन्म-मृत्यु रजिस्ट्रेशन अभिलेख, परिवार रजिस्टर की नकल आदि) पत्रावली पर प्रस्तुत किया गया है; केवल स्वघोषित शपथ पत्रों पर ही निर्भर रहा गया है।

9. रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 12.08.1985 का है, जबकि वर्तमान वाद दिनांक 27.06.2018 को, लगभग 33 वर्ष के लम्बे अंतराल के पश्चात, इस न्यायालय में दायर किया गया है। वादीगण द्वारा इस अत्यधिक विलंब (exceptional delay) के संबंध में न तो वाद पत्र में कोई स्पष्ट व ठोस कारण दर्शाया गया है और न ही साक्ष्य के माध्यम से संतोषजनक स्पष्टीकरण दिया गया है, जिससे यह प्रतीत होता है कि वाद अत्यधिक विलंबित है और वादीगण अपने अधिकारों के प्रति समुचित रूप से सतर्क नहीं रहे हैं।

10. वादीगण द्वारा यह भी दावा किया गया है कि विक्रय दिनांक से लेकर आज

06.05.26
उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर
मनोहरथाना, जिला झालावाड़ (राज.)

तक वे वादग्रस्त भूमि पर काबिज काश्तकार हैं, किंतु इस कथन के समर्थन में वादीगण की ओर से कोई विश्वसनीय दस्तावेजी साक्ष्य, जैसे – संबंधित वर्षों की जमाबंदी में काश्त प्रविष्टि, गिरदावरी, लगान/राजस्व जमा रसीद, कृषि विद्युत कनेक्शन, कुएँ/नलकूप की स्वीकृति, सहकारी समितियों से कृषि ऋण अभिलेख आदि – पत्रावली पर पेश नहीं किए गए हैं।

11. न्यायालय के समक्ष उपलब्ध दस्तावेजों से केवल यह तथ्य स्थापित होता है कि वादीगण के पक्ष में एक रजिस्टर्ड विक्रय पत्र एवं वर्तमान जमाबंदी की नकल उपलब्ध है, परंतु विक्रय की तिथि पर विक्रेता के अधिकार, वादीगण के कथित पूर्वज/क्रेता की मृत्यु तथा वादीगण के वैध वारिस होने, तथा निरंतर व निर्विवाद कब्जे की श्रृंखला को जोड़ने वाला कोई दस्तावेजी सेतु प्रस्तुत नहीं किया गया है। ऐसे में मात्र रजिस्टर्ड विक्रय पत्र और वर्तमान जमाबंदी के आधार पर वादीगण को वादग्रस्त भूमि का खातेदार काश्तकार घोषित करने का दावा सिद्ध मानना न्यायोचित नहीं है।

12. राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धाराएँ 88, 89, 91 एवं 188 के अंतर्गत मांगी गई खातेदारी घोषणा एवं अन्य राहतें तब ही प्रदान की जा सकती हैं जब वादीगण अपना title, वैध वारिसान स्थिति तथा काबिज काश्त को ठोस एवं विश्वसनीय दस्तावेजी साक्ष्य से सिद्ध करें; वर्तमान प्रकरण में वादीगण इस दायित्व का निर्वहन करने में असफल रहे हैं।

-:आदेश:-

उपरोक्त समस्त परिस्थितियों, प्रस्तुत दस्तावेजी साक्ष्य एवं अभिभाषक वादी की एक-पक्षीय बहस के अवलोकन से यह न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुँचता है कि वादी कालू पुत्र पन्नालाल आदि द्वारा प्रस्तुत वाद अंतर्गत धारा 88, 89, 91 एवं 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 अत्यधिक विलंबित तथा आवश्यक दस्तावेजी साक्ष्य के अभाव में अप्रमाणित है। अतः दावा वादी ख़ारिज किया जाता है।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया जाकर मेरे द्वारा लिखवाया गया तथा न्यायालय की मुहर एवं मेरे हस्ताक्षर द्वारा जारी किया गया।

06.05.26

पुष्कर कुमार मित्तल (आर. ए. एस.)
उपखण्ड अधिकारी
मनोहरथाना